न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री छीतरराम
पुत्र श्री जयराम
जाति कुम्हार नि. टापरवाड़ा

मुकदमा नं. 12 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम टापरवाड़ा खसरा नम्बर 63 रकबा 2.5000 हैक्टर किस्म सिवायचक बा०4 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री छीतरराम पुत्र श्री जयराम जाति कुम्हार निवारी टापरवाड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बा०, ग्वार मुंग 1.50 है० व 1.00 है० कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की ओर से लिखित में कोई जबाब पेश नहीं हुआ। अतिक्रमण कर उक्त फसल बोने की स्वीकारोक्ति की। निरीक्षक (भू.अ.) रिड़ को उक्त अतिक्रमित रकबे पर बोई गई अप्रार्थी की फसल को कुर्क कर फसल निलाम करने हेतु आदेशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टापरवाड़ा ख.न. 63 रकबा 2.50 है० किस्म सिवायचक बा०4 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर काश्त 1.50 है० व कब्जा 1.00 है० कुल 2.5000 है० पर अतिक्रमण कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 37.50 रू० पूर्णांक 37 रूपये (रूपये सेंतीस जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी – सुगनाराम s/o मांगुराम कुम्हार सा० टापरवाड़ा रूपये 1850/-

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्गित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)
जिला - नागौर (राज०)